सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर०ए०एस०

सीलिंग शिकायत प्रकरण सं0 3/18

सरजीतसिंह पुत्र श्री मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी मोहल्ला तहसील श्री करणपुर।
जरिये राजस्थान स्टेट

शिकायतकर्ता

बनाम

नक्षत्रसिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह निवासी सुन्दरपुरा तहसील श्री करणपुर।

भूमिधारी – अप्रार्थी

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट
श्री सुभाष चन्द्र मिढ्ढा, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता – वारिसान
श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, भूमिधारी – अप्रार्थी

आदेश

दिनांक : 29–9–2022

शिकायतकर्ता द्वारा अप्रार्थी नक्षत्रसिंह के विरूद्व दिनांक 20–6–2007 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पिता बलवीरसिंह पुत्र श्री कृपालसिंह के विधिक उतराधिकारियों श्रीमती गुरदेव कौर आदि द्वारा 59 बीघा भूमि अपने कब्जे में कर रखी है। कानून अप्रार्थी 46 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी हैं। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 8–3–99 को निर्णय अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि 13 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, का कब्जा बहक सरकार लिया जावे। इस आदेश के विरूद्व रिट याचिका सं0 1357/90 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर हुई जिसका निर्णय दिनांक 10–12–96 को करते हुए राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय बहाल रखा गया। उक्त निर्णयों के बावजूद भी अप्रार्थीगण गुरदेवकौर, नक्षत्रसिंह व गेरा द्वारा मिलीभगत करके 13 बीघा भूमि को जो सीलिंग सीमा से अधिक है, पर कब्जा कर रखा है। अतः प्रकरण की जॉच की जाकर सीलिंग सीमा से अधिक रकबे को बहक सरकार रिज्यूम किया जावे।

शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

शिकायतकर्ता के विधिक उतराधिकारियों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27–7–22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिकायत सुरजीतसिंह द्वारा की गई थी, जिसका देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण सुरजीतसिंह के विधिक उतराधिकारीगण हैं। वे अब उक्त शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः शिकायत की कार्यवाही समाप्त की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सीलिंग अपील सं0 238/86 में दिनांक 8–3–90 को निर्णय पारित कर 13–00 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई है। उक्त निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी भूमिधारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0सिविल रिट

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

[Type text]

Scanned with CamScanner

याचिका सं0 1357/90 दायर हुई, जिसमें दिनांक 10–12–96 को निर्णय पारित कर रिट याचिका खारिज कर दी गई। इस प्रकार निवेदन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में सीलिंग सीमा से अधिक घोषित भूमि को अधिग्रहण किया जाना चाहिये।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि शिकायतकर्ता का देहान्त हो चुका है, उसके विधिक वारिसान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

भूमिधारी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–8–86 को, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 8–3–90 को एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 10–12–96 को निर्णय पारित किए गए हैं। उक्त निर्णयों के पश्चात् शासन द्वारा दिनांक 25–7–2000 को आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेश दिये कि राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 के नियम 17 के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावे और उपरोक्त भूमि के नियमन के पश्चात् अगर सीलिंग में कोई भूमि अप्रार्थी के खाते में अधिशेष रहती है तो उस स्थिति में उपरोक्त नियमों के नियम 17(2) के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सामान्य आवंटन के तहत कार्यवाही की जावे। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 19–10–15 के साथ तहसीलदार, श्री करणपुर, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं उपतहसीलदार, केसरीसिंहपुर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में बलवीरसिंह के नाम या नत्थासिंह व जस्सासिंह के नियमन के पश्चात् उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के खाते में अधिशेष भूमि नहीं रहती है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25–7–2000 की पालना हो चुकी है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है तथा शिकायतकर्ता के वारिसान द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–8–86 को, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 8–3–90 को एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 10–12–96 को निर्णय पारित किए गए हैं। उक्त निर्णयों के पश्चात् शासन राजस्व (ग्रुप–7) विभाग ने अपने पत्रांक एफ5(22)राज/ग्रुप–7/97 जयपुर दिनांक 25–7–2000 द्वारा प्रकरण में आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेश दिये कि राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 के नियम 17 के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावे और उपरोक्त भूमि के नियमन के पश्चात् अगर सीलिंग में कोई भूमि अप्रार्थी के खाते में अधिशेष रहती है तो उस स्थिति में उपरोक्त नियमों के नियम 17(2) के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सामान्य आवंटन के तहत कार्यवाही की जानी थी। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट पत्रांक 610 दिनांक 19–10–15 के साथ तहसीलदार, श्री करणपुर, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं उपतहसीलदार, केसरीसिंहपुर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में बलवीरसिंह के नाम या नत्थासिंह व जस्सासिंह के नियमन के पश्चात् उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के खाते में अधिशेष भूमि नहीं रहती है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25–7–2000 की पालना हो चुकी है। प्रकरण में और कोई विधिक कार्यवाही शेष नहीं रहती है तथा शिकायतकर्ता के वारिसान द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस स्तर पर कार्यवाही समाप्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय, माननीय राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय के उपरांत शासन के आदेश दिनांक 25-7-2000 की पालना उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर के पत्रांक 620 दिनांक 19-10-15 द्वारा हो चुकने एवं शिकायतकर्ता के वारिसान द्वारा शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29-9-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर

Scanned with CamScanner